न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 78 सन 2017

अनवान :–

1. हरीराम पुत्र श्योलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. श्योलाल पुत्र मूलाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. पुरखाराम पुत्र मूलाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पूर्णराम पुत्र मूलाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता सायल
श्री महेश चन्द्र शर्मा गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 16/08/2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 32/25 की 73 किता की कुल 17.5340हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 337/275 की किता 22 की कुल 5.4400हैक भूमि सयुक्त खाता में गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि सायल व गैरसायल न0 1 व वाद के प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की हिन्दु मुश्तरका परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें सायल एव वाद के प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का पैदाईशी हक व हिस्सा है गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज हुई है।

वादग्रस्त भूमि चक 7 पीपीएम में गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में 1/7 हिस्सा भूमि में गैरसायल के नाम दर्ज भूमि में सायल व वाद के प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 प्रत्येक का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसीप्रकार रोही मौजा बिरकाली बारानी के की भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जिसमें गैरसायल न0 1 का 1/3 हिस्सा है गैरसायल के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में सायल व गैरसायल न0 1 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से दर्ज रहने से गैरसायल न0. 1 ता 3 कभी भी वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है जिससे सायल के खातेदारी हकों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी जिससे मुकदमेबाजी बढेगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 ता 3 को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि वह दिनांक 22.06.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सायल को एकपक्षिय तोर से सुना जाकर दिनांक 22.06.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर गैरसायलान को जरिये रजिस्टर सम्मन/नोटिस तलब किया गया। सम्मन जारी होने के उपरान्त पुन सम्मन पेश करने हेतु न्यायालय ने बार बार पूनः सम्मन पेश करने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी गैरसायलान की तल्बी हेतु सम्मन पेश नही किये जो न्यायोचित नही है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

गैरसायल न0 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी इस आशय का पेश किया की सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 2 पुरखाराम को भी फरीक बनाया गया है सायल हरिराम की इश्तदुआ अपने पिता

Scanned with CamScanner

श्योलाल के विरूद्व है किन्तु सायल ने सम्पूर्ण मुश्तरका खाते के काश्तकारों के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है इसी प्रकार सायल ने एक प्रार्थना पत्र पूर्व में भी पेश किया गया था जो अनवानी श्योलाल बनाम पुरखाराम था जिसमें भी पुरखाराम प्रार्थी के विरूद्व स्थगन लिया गया था जो न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था अब पुन श्योलाल व उसके लडके हरीराम ने मिलकर दुबारा स्थबन आदेश प्राप्त कर लिया है जो विधि विरूद्व है मिलीभगत कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है जबकि प्रार्थी पूरे खाते पर स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः गैरसायल न0 2 के विरूद्व जारी स्थगन आदेश निरस्त फरमया जाकर श्योलाल जिसके विरूद्व सायल का अनुतोष है तक रखा जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र 151–152 शामिल मिसल किया जाकर सायल से प्रार्थना पत्र का जबाब चाहा गया

सायल ने गैरसायल न0 2 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की

गैरसायल न0 2 पुरखाराम – बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नही है प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 मुश्तरका तौर पर 1/3 हिस्सा है चुकि वादग्रस्त भूमि में गैरसायल न0 1 ता 3 मुश्तरका है तथा पैतृक सम्पति है इसलिये सायल की निषेधाज्ञा सभी गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है ताकि मुश्तरका भूमि रहन बेय ना की जा सके रहन बेय होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होगी गैरसायल न0 1 ता 3 सगे भाई है मुश्तरका खाता है अन्य दावा श्योलाल बनाम पुरखाराम का इस दावा से कोई सम्बध नही है गैरसायल न0 2 ने दावा व प्रार्थना पत्र का जबाब पेश ना कर प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी पेश किया गया है जो विधि विरूद्व है सायल का प्रार्थना पत्र गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है जिसे अलग नही किया जा सकता है जबाब प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील गैरसायल न0 2/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 2 पुरखाराम को भी फरीक बनाया गया है सायल हरिराम की इश्तदुआ अपने पिता श्योलाल के विरूद्व है किन्तु सायल ने सम्पूर्ण मुश्तरका खाते के काश्तकारों के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है इसी प्रकार सायल ने एक प्रार्थना पत्र पूर्व में भी पेश किया गया था जो अनवानी श्योलाल बनाम पुरखाराम था जिसमें भी पुरखाराम प्रार्थी के विरूद्व स्थगन लिया गया था जो न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था अब पुन श्योलाल व उसके लडके हरीराम ने मिलकर दुबारा स्थबन आदेश प्राप्त कर लिया है जो विधि विरूद्व है मिलीभगत कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है जबकि प्रार्थी पूरे खाते पर स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः गैरसायल न0 2 के विरूद्व जारी स्थगन आदेश निरस्त फरमया जाकर श्योलाल जिसके विरूद्व सायल का अनुतोष है तक रखा जाने के आदेश फरमावें।

वकील सायल/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 मुश्तरका तौर पर 1/3 हिस्सा है चुकि वादग्रस्त भूमि में गैरसायल न0 1 ता 3 मुश्तरका है तथा पैतृक सम्पति है इसलिये सायल की निषेधाज्ञा सभी गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है ताकि मुश्तरका भूमि रहन बेय ना की जा सके रहन बेय होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होगी गैरसायल न0 1 ता 3 सगे भाई है मुश्तरका खाता है अन्य दावा श्योलाल बनाम पुरखाराम का इस दावा से कोई सम्बध नही है गैरसायल न0 2 ने दावा व प्रार्थना पत्र का जबाब पेश ना कर प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी पेश किया गया है जो विधि विरूद्व है सायल का प्रार्थना पत्र गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व है जिसे अलग नही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है मुश्तरका खाता में दर्ज भूमि में गैरसायल न0 1 के वारिसान एवं हको के सम्बध प्रार्थना पत्र में विवेचन नही किया जाना है यह बिन्दु वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद में तय होना है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु एवं सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

सायल के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो पूर्व में गैरसायल न0 1 ता 3 के पूवर्ज मूलाराम के नाम से दर्ज थी वर्तमान में गैरसायल न0 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है सायल किसी भी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नही है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल संख्या 1 ता 3 के पक्ष में सामान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है इसलिये मुश्तरका खाते के सभी काश्तकारों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाया गया है । स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल ने वाद व प्रार्थना पत्र में पैतृक सम्पति का कथन किया जाकर अपने हकों की घोषणा चाही गई है अर्थात सायल ने गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि के सम्बध में अनुतोष है गैरसायल न0 2 ,3 की भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष नही है जब गैरसायल न0 2 ,3 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष ही नही है तो सायल गेरसायल न0 2 ,3 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

मुश्तरका खातेदार यदि अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान कर भी देता तो सायल को किसी प्रकार की हानी नही होगी तथा मुश्तरका खातेदार केवल अपने हिस्से का ही बेचान कर सकता है किसी विशेष भू0भाग का बेचान नही कर सकता है ।

गैरसायल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है यदि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सायल को किसी प्रकार को कोई प्रभाव नही होगा क्योकि सायल किसी प्रकार का टिनेन्ट ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है गैरसायल न0 2, 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दु का जहाँ तक प्रश्न है वह भी सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल के पक्ष में है क्योकि की गैरसायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति खातेदार काश्तकार को होगी सायल ने मात्र मुश्तरका खातेदार होने के कारण गैरसायल संख्या 2 ,3 को पाबन्द करवाना चाहता है जबकि गैरसायल संख्या 2 ,3 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष ही नही है बिना कारण किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 2, 3 के पक्ष में साबित होते है सायल ने मात्र मुश्तरका खातेदार काश्तकार होने के कारण गैरसायल को पाबन्द करवाना चाहता है जो न्यायोचित नही है। तथा सायल ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है अर्थात सायल क्लीन हेण्ड से नही आया है

उरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र 151–152 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 22.06.2017 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को गैरसायल न0 2 ,3 की हक हिस्सा तक निरस्त किया जाता है गैरसायल न0 1 के हिस्से तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner